UPPG010013362026

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं.–1, प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–अजय कुमार–I, (एच.जे.एस.)
जे.ओ.कोड–यू.पी.–6395
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–487/2026

सायमीन बानो उम्र लगभग 40 साल पत्नी वाहिद अली निवासी ग्राम नरसिंहगढ़, थाना रानीगंज, जिला प्रतापगढ़।

..... प्रार्थिनी/अभियुक्ता

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश **.....अभियोगी।**

मुकदमा अपराध संख्या–101/2025
धारा–115(2), 352, 351(3), 333, 109(1)बी.एन.एस.
थाना–रानीगंज, जिला– प्रतापगढ़।

06.03.2026

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदिका/अभियुक्ता **सायमीन बानो** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–101/2025, धारा–115(2), 352, 351(3), 333, 109(1) बी.एन.एस., थाना–रानीगंज, जिला–प्रतापगढ़ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

2. **संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि** दिनांक 12.04.2025 को समय लगभग 8 बजे रात्रि में जमीनी रंजिश के बिना पर वाहिद अली, महताब अली, नदीम अली, सायमीन बानों उक्त सभी एक राय बनाकर घातक हथियार से लैस होकर गाली देते हुए जान से मारने की नियत से प्रार्थिनी के पति सरवर अली व जेष्ठ वारिफ अली जो घर में खाना खा रहे थे तभी उक्त लोग सहन दरवाजे पर आ गये, प्रार्थिनी ने अपने घर का दरवाजा बन्द कर ली और 112 नं0 पर फोन की जिससे पुलिस मौके पर पहुँची तो उक्त लोग जान से मार डालने की धमकी देते हुए चवले गये और घर के आस पास कहीं छिप गये। घात लगाकर छिपे हुए थे, प्रार्थिनी के पति व जेष्ठ लगभग 11 बजे रात्रि में माहौल ठण्डा देखकर घर से बाहर निकले तो उक्त लोग वाहिद अली, महताब अली, नदीम अली, सायमीन बानो सभी एक राय बनाकर हमलावर हो गये, वाहिद अली अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिये हुए थे, महताब अली व नदीम अपने हाथ में लोहे की राड लिये लये थे, सायमीन बानों डण्डा ली हुई थी, वाहिद अली कुल्हाड़ी से सरवचर अली व वारिफ अली के सर में मार दिये तथा महताब अली, नदीम अली व सायमीन ने अपने अपने हथियारों से मारने पीटने लगे जिससे सरवर अली व वारिफ अली जान बचाने के लिए अपने घर में भागे, उक्त लोग घर में घुसकर बुरी तरीक से मारने पीटने लगे। प्रार्थिनी बीच–बचाव करने आयी तो प्रार्थिनी को भी मारे–पीटे जब प्रार्थिनी की जेठानी रिजवाना को शोर सुनाई दिया तो प्रार्थिनी व प्रार्थिनी की जेठानी दोनों मिलकर हावा गुहार मचाये, जिससे गांव के तमाम लोग मौके पर पहुँचने लगे तो उक्त लोग जान से मार डालने की धमकी व गाली देते हुए चले गये। प्रार्थिनी के पति व जेष्ठ को गम्भीर चोट सर, हाथ, पैर व सीने में आयी है। 112 नं0 पर

Digitally signed by AJAY KUMAR
Date: 2026.03.07 11:26:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थिनी द्वारा दुबारा सूचना देने पर पुलिस मौके पर दुबारा पहुंची और एएबुलेन्स भी आई, चोटहिल लोगों को ट्रामा सेन्टर द्वारा जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के परिवार के जान माल का खतरा बना हुआ है।

3. **आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि** प्रार्थिनी निर्दोष है और असत्य कथनों के आधार पर झूठा फंसाया गया है। वादिनी मुकदमा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में जमीनी रंजिश होना कहा है और झूठी घटना बनाकर तंग व परेशान करने के नियत से रपट दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त और वादी मुकदमा के पति सगे भाई है उनके मध्य मकान व आबादी को लेकर आये दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। वादिनी मुकदमा और उसका पति सरहंग किस्म के है और पैतृक आबादी में हिस्सा नहीं देना चाहते है। घटना होने के तुरन्त बाद 112 नम्बर पुलिस बुलाने व एम्बुलेंस आने व ट्रामा सेन्टर व जिला चिकित्सालय रेफर होने का तथ्य रखा गया है, किन्तु मेडिकल रिपोर्ट दिनांक 13.04.2025 को हुआ है सारी चोटें ठोस कुन्दालय से आना दर्शायी गयी है और साधारण प्रकृति की होना कहा गया है। प्रार्थिनी कभी के सजायाफ्ती नहीं है न ही पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास है। सहअभियुक्तगण वाहिद अली, नदीम अली, महताब अली की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। उक्त के संबंध में कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाबाद खण्डपीठ लखनऊ में न प्रस्तुत की गयी है न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुई है।

4. **आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)**को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

5. **अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)** द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका/अभियुक्ता ने सह अभियुक्त के साथ मिलकर एक राय होकर मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुये कुल्हाड़ी, लोहे की राड व डण्डा लेकर वादिनी मुकदमा के घर चढ़ आये और जान से मारने की नियत से वादिनी मुकदमा के पति व जेठ को मार कर गम्भीर चोटें पहुंचायी, जब वादिनी मुकदमा बचाने आयी तो उसको भी बुरी तरह से मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत आवेदन पत्र खारिज किया जाय।

6. **प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी के अवलोकन** से अभियुक्ता पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर एक राय होकर मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुये कुल्हाड़ी, लोहे की राड व डण्डा लेकर वादिनी मुकदमा के घर चढ़ आये और जान से मारने की नियत से वादिनी मुकदमा के पति व जेठ को मार कर गम्भीर चोटें पहुँचायी, जब वादिनी मुकदमा बचाने आयी तो उसको भी बुरी तरह से मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी देते हुये चले जाने का आरोप लगाया गया है। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से कथित मार–पीट में चोटहिल सरवर के शरीर पर कुल सात चोटें है, जिसमें एक चोट सर के बाये भाग में फटा हुआ घाव 10 से.मी.x2 से.मी., बाये कान से ऊपर। उक्त चोट को छोड़कर 6 चोटें साधारण प्रकृति की है जिसमें खरोच और दर्द की शिकायत है। चोट संख्या–1 की एक्सरे की सलाह दी गयी है, किन्तु कोई विकृति नहीं पायी गयी। मजरूब वारिफ के शरीर पर 9 चोटें पायी गयी हैं, जिसमें दो चोट फटा हुआ व अन्य चोटें जिसमें खरोच और दर्द की शिकायत है। चोट नं. 1,2 व 5 को एक्सरे हेतु संदर्भित किया गया है, किन्तु एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार कोई भी विकृति नहीं पायी गयी। कथित घटना

जमीनी रंजिश की होना बताया गया है। सहअभियुक्तगण वाहिद अली, नदीम अली व महताब अली की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्ता दिनांक 13.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। ऐसी स्थिति में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण दोष पर बिना विचार किये अभियुक्त को जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका/अभियुक्ता **सायमीन बानो** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–101/2025, धारा–115(2), 352, 351(3), 333, 109(1) बी.एन.एस., थाना–रानीगंज, जिला– प्रतापगढ़ में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु० 50,000/–(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि का दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SUO MOTO (क्रिमिनल) संख्या–4/2021 में पारित आदेश दिनांकित–31.01.2023 व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र संख्या–448/SLSA–06/2021 दिनांकित–13.02. 2023 के संदर्भ में आदेश की प्रति सम्बन्धित जेल अधीक्षक कारागार को जरिए ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि आदेश का इन्द्राज e–Prison Software में करें।

दिनाँक : 06.03.2026

(अजय कुमार–I)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं.01, प्रतापगढ़।

दुर्गा प्रसाद/– स्टेनो